प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा

भाग–II

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	जनपद सुलतानपुर में उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद –अकबरपुर रेल मार्ग (किमी0 सं0 –874.355 से 884.545 तक) में जिला सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रेल ट्रैक की डब्लिंग करने से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 7.3816हे0 पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(i)	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	सुलतानपुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र हे0	संरक्षित वन भूमि 7.3816 हे0
(v)	वन का कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2–0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना(संलग्न की जाय) सिंचाई /जलीय परियोनजा के संबंध में एफ0आर0एल0 एफ0 आर0एल0–2 मीटर परिगणना और एफ0आर0एल0 4मी0 में भी संलग्न की जाय)	संलग्न है।
(viii)	भू– क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	ये भू– भाग भू–संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान , वन्य जीव, अभयारण्य जीवनमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वनज ीव वार्डन का टिप्पणियां अनुबधित की जाय)	नहीं है।
(x)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ /सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं है। सामान्यतः सिरस, शीशम, प्रोसोपिस, अर्जुन कंजी, आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये है।
(xi)	क्या कोई सुरक्षित पुस्ताकित / पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजनाक लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है ।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपरूक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र के आस–पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या , प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपरूक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास के सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्ष द्वारा हस्तान्तरित किया जाना)	विवरण संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	267289हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	636.878 हे0
(iii)	मामलों की संख्या हित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	9 मामले 71.733528 हे0
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	118.5644हे0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
	(क) वनेत्तर भूमि	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	292.583हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिश ।	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 7.3816 हे0 संरक्षित वन भूमि वनेत्तर कार्यों मार्ग निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है जो न्यूनतम है।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुल्तानपुर।